न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 78/2020 (2020/00365) **दर्ज दिनांक 05.08.2020**

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. श्रीमती राजी पत्नि स्व0 गोपीलाल सालवी निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

––प्रार्थीया

बनाम

1. नंदराम आत्मज गंगाराम चमार निवासी उंचा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती मधुदेवी पत्नि छीतरमल धोबी निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा जिला चितौड़गढ़
3. पीयुष आत्मज आत्माराम सर्राफ निवासी सी0 30 शास्त्री नगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. बनवीर आत्मज रोशनलाल महाजन
5. शोभालाल आत्मज बादरमल महाजन

   सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीयाः– श्री सत्यनारायण जोशी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय **दिनांकः–26.02.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम रामाखेड़ा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 174 रकबा 1.30 हे0, 176 रकबा 0.55 हे0, 177 रकबा 0.26 हे0, 178 रकबा 0.27 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2. 38 हे0भूमि राजस्व खाता संख्या 178 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी स[illegible]3 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के[illegible]दुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को [illegible] सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विप[illegible]ण संख्या 1 लगाय[illegible]बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या :—78 / 2020 (2020 / 00365)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रामाखेड़ा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 174 रकबा 1.30 हे0, 176 रकबा 0.55 हे0, 177 रकबा 0.26 हे0, 178 रकबा 0.27 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.38 हे0भूमि राजस्व खाता संख्या 178 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 800/— (आठ सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 800/— (आठ सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:17 IST
Reason: SelfAttested